



2 SEP 2019



GENERAL STUDIES (Module – 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)-M-GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Sunil Kumar Dhanwanta Mobile Number: _____
Medium (English/Hindi): Hindi Reg. Number: 7059
Center & Date: DELHI & 02/09/2019 UPSC Roll No. (If allotted): 0815872

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501, 8448485517

खंड - क/ SECTION - A

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2005 में पारित किया गया था जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

2019 के संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ :-

- (i) ~~सूचना~~ मुख्य सूचना आयोग तथा अन्य सूचना आयोगों की नियुक्ति शर्तों, कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण अब केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- (ii) अब सूचना आयोगों की निर्वाचन आयोगों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
- (iii) इनकी हटाने की प्रक्रिया भी आसान

प्रभाव :-

- (i) सूचना आयोगों की नियुक्ति शर्तों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने से उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है → सरकार के खिलाफ सूचनाओं की दुरुपयोग जा सकता है।
- (ii) कई 'NGO' द्वारा इस संशोधन का विरोध किया जा रहा है। उनका मत है कि यह 'RTI' की मूल भावना को समाप्त कर देगा।

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

सुशासन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है अतः इस कदम पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है तथा इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10
- Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तीन

प्रकार की संशोधन प्रक्रियाओं का समावेशन
किया गया है।

(i) सामान्य संशोधन प्रक्रिया

{ प्राचारण बहुमत द्वारा पारित होना
जैसे - नये राज्यों का निर्माण

(ii) विशेष संशोधन प्रक्रिया

{ उपाध्यक्ष व भ्रत होने वालों के 2/3 बहुमत
तथा भदन की कुल संख्या का बहुमत
उदाहरण - भूल अधिकार में संशोधन

(iii) विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया

{ विशेष संशोधन प्रक्रिया तथा आये से अधिक
राज्यों द्वारा अनुमोदन
उदाहरण - राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया
की अनुमोदी

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के कारण

- (i) ~~संशोधन~~ नये राज्यों के निर्माण में राज्यों
की ~~निर्माण~~ कोई प्रभानी भूमिका नहीं
- (ii) विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया → एक लंबी
प्रक्रिया
- (iii) जनता की शय का समावेशन नहीं
- (iv) राज्यसभा का अनावश्यक ~~क~~ गतिरोध

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये।
(150 शब्द) 10
- 'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

जनहित याचिका की सुप्रीम

कोर्ट के पूर्व मुख्य - भायाचीश जस्टिस पी. एन.
भगवती द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह
लोकहित के मुद्दों के समाधान का महत्वपूर्ण
साधन माना जाता है।

पक्ष में तर्क :-

- (i) कार्यपालिका की जवाबदेह बनाने में सहायक
(जैसे - दिल्ली में CNS बस शुरू करने
का निर्णय
↳ BSVT लागू करने का निर्णय
- (ii) स्वतः सँज्ञान के माध्यम से अनेक मुद्दों
का समाधान
- (iii) सामान्यतः समाज के वंचित वर्गों
के हितों की रक्षा में सहायक

जनहित याचिका के विपक्ष में तर्क

(i) इससे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है।

कानून बनाने का अधिकार विधायिका को परंतु न्यायालय द्वारा कानून बनाना जैसे विशाखा दिशानिर्देश, तीन तलाक के मुद्दे पर दिशा-निर्देश।

(ii) इससे कार्यपालिका के ऊपर जनता का विश्वास कम होता है।

इसलिए न्यायालय को उन्हीं

भुक्तियों में जनहित याचिका स्वीकार करनी चाहिए

जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा कार्यपालिका

लंबे समय से इस पर कोई कदम नहीं

उठा रही हो।

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

कार्यपालिका को जनता के प्रति
जवाबदेह बनाने के लिए उस पर संसदीय
नियंत्रण का होना आवश्यक है।

प्रमुख भंग :-

- (i) सचिवान प्रस्ताव
- (ii) निंदा प्रस्ताव
- (iii) विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव
- (iv) अविश्वास प्रस्ताव
- (v) कर्तोती प्रस्ताव

प्रकारात्मक पक्ष

- (i) सरकार को जवाबदेह बनाना है।
- (ii) कई बार सरकार को गंभीरता से ~~ख~~ ^{भुड़ों}
पर विचार करने की बाध्य करण है।
- (iii) कर्तोती प्रस्ताव के माध्यम से विनीत
जवाबदेही

विपक्ष

- (i) सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं बना
सकते
- (ii) सरकार यदि बहुमत में है तो इनका
सरकार पर कोई बाल प्रभाव नहीं
पड़ता
- (iii) विपक्ष के कमजोर होने पर यह नैतिक
कमजोर हो जाता है।


5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दबाव समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दबाव समूह सरकारी की जवाबदेही
मानाचिन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते
हैं।

राजनीतिक दल	दबाव समूह
(i) राजनीति में भाग लेते हैं।	(i) सामान्यतः राजनीति के बाहर रहकर कार्य करते हैं।
(ii) सरकार में शामिल होते हैं।	(ii) सामान्य ये सरकार में शामिल नहीं होते हैं।
(iii) ये दबाव समूहों का ही एक उपसमूह हैं।	(iii) इसमें NGOs, मीडिया, सिविल समाज, राजनीतिक दल सब शामिल हैं।



- शान्तिपूर्ण हस्तगत एवं प्रदर्शन
- याचिका के माध्यम से दबाव
- न्यायिक समीक्षा द्वारा दबाव
- लोकतांत्रिक मीडिया पर सभ्यता द्वारा दबाव
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया द्वारा दबाव

- हिंसक अतिविधियों द्वारा दबाव (जैसे शान्तिवादीयों द्वारा विमान टाइजेक कर अपनी बात मनवाना)
- जैत कानूनी तरीकों का प्रयोग करना जैसे नक्सलवादी

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

सरोगेसी बिल के प्रमुख प्रावधान-

- (i) सरोगेसी माँ पारिवारिक संबंधों में
होनी चाहिए
- (ii) शादी-शुदा जोड़े को विवाह के 5 वर्ष
के पश्चात ही इसकी अनुमति तथा
बाकी विकल्पों की सफलता के बाद
ही इससे अपनाना
- (iii) वाणिज्यिक लेन-देन को अर्थ एवं ~~वैयक्तिक~~
धोषित करना
- (iv) सरोगेसी विनियमक प्राधिकरण की स्थापना →
निष्पक्ष बनाना तथा इनको लागू करवाना

लाभ

- निरक्षरता दंपतियों को संतान सुख
- सरोगेसी के वाणिज्यीकरण पर रोक
- दबाव से सरोगेसी पर रोक

कृषि

- सरोगेसी की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है → सरोगेसी माँ का मिलना अत्यंत कठिन
- सभलैगिनी को सरोगेसी की सेवाओं की अनुभूति नहीं → इनके सभानता के अधिकारों का उल्लंघन

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

हाल ही में राजस्थान में
स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा
की अनिवार्यता को लागू कर दिया
जा रहा है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पक्ष में तर्क-

(i) शिक्षित राजनेता → सभी प्रशासनिक व कार्रगी
प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी

↓
बेहतर कार्य संचालन

(ii) लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित
करेगा।

(iii) डिजिटल मंचार का युग - न्यूनतम योग्यता

आवश्यक

विपक्ष में तर्क

- (i) जरूरी नहीं कि एक पदा लिखा नेता ही एक अच्छा नेता हो
- (ii) यदि स्वतंत्रता से 70 वर्ष के बाद भी कोई शिक्षित है तो वह राज्य की आवश्यकता
- (iii) व्यक्ति कर्मी के अधिकारों का उल्लंघन
↓
SC, ST, महिलाओं की लापरवाही
↓
वे अयोग्य हो जायेंगे
- (iv) हमें शिक्षा व्यवस्था को पहले सभ्यता
व सुदृढ़ बनाना आवश्यक ।

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

POCSO संशोधन के प्रावधान

- 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा
- 12-18 वर्ष की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर शोषण कारावास की सजा का प्रावधान
- फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय
- बलात्कार की परिभाषाओं को पुनर्भाषित करना

कठोर दृष्ट के पक्ष में तर्क

- (i) निवारक की भूमिका
- (ii) लीजों में कानून का भय
- (iii) पीड़ित को समुचित न्याय

क्रियाचक्रन संबन्धी समस्याएँ

- (i) जाँच की गुणवत्ता निम्न
- (ii) राजनीतिक हस्तक्षेप
- (iii) धीमी न्यायिक प्रक्रिया
- (iv) कठोर दृष्ट से जरूरी नहीं कि अपराध
कम हो (शोध से स्पष्ट)

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India?

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

पहली बार OIC में भारत को

निर्माण

महत्त्व

पाकिस्तान पर दबाव

आतंकवाद के खिलाफ कदम

इस्लामिक देशों का विश्वास जीवना

ऊर्जा सुरक्षा. परन्तु तेल व गैस
आपूर्ति

क्षेत्र में प्रकल्पों के हितों की रक्षा

मध्य-पूर्व के भू-राजनीतिक मुद्दों

में भारत की भागीदारी

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व

चीन का प्रभाव रोकना

नौटिक सुरक्षा प्रदान करना

व्यापारिक मार्ग

प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा

खनिज

तेल

क्षेत्रवाद व पायरेटरी सुरक्षा

आपदा प्रबंधन

एकूट इकोनॉमी को बढ़ावा

नौसैनिक शक्ति बढ़ाना

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं पारदर्शी
चुनावों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
इसी संदर्भ में भारत में समय-समय पर
अनेक सुधार लागू किए जाते रहे हैं।

हाल ही के प्रमुख सुधार :-

(i) चुनावी बाँड

राजनीतिक दलों को चंदा देने हेतु
बैंक द्वारा बाँड के माध्यम से
काले धन की समस्या का समाधान

(ii) लोकसभा चुनावों में वीवीपैट (VVPAT) का प्रयोग

किसी संविधान की स्थिति में वोटों के
सत्यापन हेतु
अनार में 'EVM' मशीन के प्रति विश्वास
जगाने हेतु

(iii) चुनाव प्रत्यागियों की धन संपत्ति का खुलासा

(iv) सेवा वोटर्स के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक मत पत्र'
का विकास

(v) EVM पर प्रत्यक्षी के चुनाव चिह्न के साथ-
साथ उनकी फोटो लगाना

परंतु इनके अलावा भी अनेक

क्षेत्र हैं जहाँ व्यापक चुनाव सुधार की अपेक्षा
है। ये हैं-

(i) चुनावों में ~~बेहतर~~ बेतहासा खर्च पर रोक
लगाना

(ii) मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल
मीडिया

(iii) एक राष्ट्र, एक चुनाव का सिद्धांत

(iv) चुनावों में राज्य द्वारा वित्त पोषण

(v) अपराधियों का चुनाव लड़ना अर्थात् राजनीति
का अपराधीकरण

(vi) चुनाव आयोग को दण्डात्मक शक्तियाँ प्रदान
करने के संदर्भ में

→ भ्रष्ट प्रथाओं का नामांकन रद्द करने
के संदर्भ में
→ चुनाव आयोग की अवमानना के संदर्भ
में

(vii) राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का
सुदृढ

चुनाव सुधारों के लिए

जनता एवं राजनेताओं के बीच एक विस्तृत

विचार-विमर्श होना चाहिए तथा शीघ्र ही

लंबित पड़े सुधारों को लागू किया जाना चाहिए

ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव आयोजित

किए जा सकें।

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

मानवाधिकार आयोग की

स्थापना मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के अंतर्गत

हुई थी जो भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन

के मामलों के संदर्भ में जांच करना है

तथा आवश्यक सलाह प्रदान करना है।

मानवाधिकार आयोग के समक्ष संरचनात्मक समस्याएँ

(i) मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर

केवल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की

ही नियुक्ति → परंतु अब संशोधन

(ii) इसके पास स्वयं के जांच दल एवं

मानव संसाधनों तथा सभरपित सचिवालय

की कमी है।

(iii) इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जा सकता है → हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

(iv) इसके सदस्यों में पर्याप्त भागा में न्यायिक सदस्यों की कमी

व्यवहारिक सीमाएँ

- (i) आयोग के पास केवल सलाहकारी शक्तियाँ, दण्डात्मक शक्तियों का अभाव
- (ii) भारत के विस्तृत भौगोलिक विस्तार को देखते हुए इसके पास पर्याप्त भागा में सदस्यों का अभाव
- (iii) राज्यों के मानवाधिकार आयोगों के बीच तथा राज्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव
- (iv) इसके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

संस्थान की सुदृढ़ता के लिए उपाय

(i) मानवाधिकार आयोग (मिशनरी) अधिनियम, 2019

का समुचित क्रियान्वयन

(अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट

के -प्रायाचीन के अलावा भी नियुक्ति

संभव

(ii) आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन

एवं जैज फल हो

(iii) समन्वय होना चाहिए

(iv) आयोग को कुछ मात्रा में वार्षिक शक्तियाँ

भी दी जा सकती हैं।

इसके साथ ही आयोग को

संवैधानिक दर्जा देकर इसे सरकार के हस्तक्षेपों

से मुक्त करना चाहिए ताकि व्यक्तियों के

मानवाधिकारों की समुचित एवं निष्पक्ष रूप से

रक्षा संभव हो सके।

13. भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे

को एक बड़ा सुधार माना जा रहा जिसकी अनुशासना प्रशासनिक सुधार आयोग (2^{वा}), संविधान समीक्षा आयोग द्वारा की जा चुकी है। इसमें भारतीय चुनाव प्रणाली के अनेक दोषों को दूर करने की शक्ति है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ :-

- (i) आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाली बार-बार विकास बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है।
- (ii) चुनावों पर भारी भागा में देश के धन का व्यय होता है → इससे इस पर कुछ अंकुश लग सकता है।

- (iii) चुनौती के कारण कर्मचारियों के नियोजन के कारण स्कूलों एवं कार्यालयों के कार्यों में बाधा का निराकरण संभव
- (iv) छात्रों को केवल एक बार वोट डालने जाना होगा → वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है।

चिंतन:

- (i) इसके कारण कई बार क्षेत्रीय मुद्दों हाकी हो सकते हैं या कई बार केवल राष्ट्रीय।
- (ii) देश में छोटी एवं क्षेत्रीय पार्टियों के हितों की अनदेखी होने के संभावना → केवल राष्ट्रीय दलों को ही ज्यादा लाभ की आशा का,
- (iii) जनता को राज्य एवं केन्द्र सरकार के मूल्यांकन का 5 वर्ष में एक ही अवसर मिलेगा →

जवाब देलिया कम होने की आशा का

चुनौतियों

- (i) भारत की विशाल जनसंख्या → भारी मात्रा में
'EVM' एवं मानव संसाधन की आवश्यकता
- (ii) राज्यों के मध्य सहमति बनाना कठिन
↓
'संघात्मक व्यवस्था' की चुनौतियाँ
- (iii) भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की आवश्यकता
↓
बाहरी शक्ति व सीमा सुरक्षा की चुनौतियाँ
- (iv) राज्यों की अनेक विधानसभों के कार्यकाल
बढ़ाने व घटाने की चुनौतियाँ
- भए सुधार एक बड़ा एवं

मुगांवकारी सुधार हैं जिस पर विशेषज्ञों, राजनीतिकों
एवं जनता के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए।
इसके पश्चात ही समुचित निर्णय का निर्माण
करना चाहिए और चुनौतियों का कठिन समाधान
करना चाहिए।

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

हाल ही में प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना के अंतर्गत विश्व की सबसे
बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' का
शुभारंभ किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य
सभी को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान
कर मानव विकास को बढ़ाना है।

आयुष्मान
भारत $\left\{ \begin{array}{l} \text{चयनित} \\ \text{परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का} \\ \text{स्वास्थ्य बीमा} \\ \text{क्षेत्र में 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं देखभाल} \\ \text{केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान} \end{array} \right.$

आयुष्मान भारत के लाभ :-

(1) गरीब व वंचित जनता को तृतीयक स्वास्थ्य
सेवाओं का लाभ लेने में आसानी →
अब उनके जेब से स्वास्थ्य खर्च में

कमी आने की संभावना → गरीबी में जाने से

बचाव

(i) यह योजना देश की लगभग 40% जनसंख्या
को प्रभावित करने की क्षमता रखती है →
स्वस्थ मानव पूंजी का विकास

(ii) स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण
स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ → निवारक स्वास्थ्य
सेवाओं, मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवाओं की
पहुंच

(iv) लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में
चयन की स्वतंत्रता

(v) स्वास्थ्य पर सरकार का व्यय ↑

चुनौतियाँ :

(i) लक्षित लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया का
कठिन होना

(ii) निजी क्षेत्र की सेवाओं का सरकार द्वारा

स्वैच्छिक आधार पर मूल्य निर्धारण → निजी
अस्पताल हमसे खुश नहीं
(iii) लोग निजी क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज
की वरीयता देंगे → सरकारी अस्पतालों की
क्षमता का प्रयोग नहीं

(iv) फ्रॉड बीमा दावों के बढ़ने की आशंका

(v) योजना के लिए भारी मात्रा में वित्तीय आवश्यकता
↓
राज्यीय द्वारा बढ़ने की आशंका

निःसंदेह यह योजना

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी साबित
हो सकती है परंतु इसके लिए इसके समक्ष
आने वाली चुनौतियों का तुरंत समाधान करना
होगा तभी स्वस्थ मानव पूंजी के निर्माण
के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों की
पूर्ति (लक्ष्य 3) संभव हो सकेगी।

15. सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत एक संसदीय लोकतंत्र
जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह
द्वारा शासन का संचालन किया जाता है।
संविधान निर्माण के समय विश्व की प्रचलित
सभी व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के पश्चात् इस
व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया
जाया था।

संसदीय प्रणाली के गुण.

- (i) इसमें जनता के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के
विशिष्ट मुद्दों को उठा सकते हैं जो
अन्य प्रणाली में कठिन हैं → इससे संतुलित
क्षेत्रीय विकास की वढ़ावा मिलेगा
- (ii) भारत आधुनिक, धार्मिक, नृजातीयता इत्यादि के
आचार पर विविधता वाला देश है जिसकी
रक्षा के लिए यह प्रणाली उपयुक्त प्रतीत

होती हैं।

(i) भारत की विद्यालय जनसंख्या के कारण एक
साथ एक पढ़ के लिए वोटिंग करवाना
एक चुनौतिपूर्ण कार्य है परंतु लालदीय प्रणाली
में वे केवल अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि
को ही चुनते हैं।

❖

दोष :-

(i) इस प्रणाली में निर्णय निर्माण में विलंब होता
है क्योंकि सभी लोगों के विचारों पर
विचार-विमर्श करना पड़ता है।

(ii) कई बार स्वार्थी हितों की वजह से अनावश्यक
रूप से काठन निर्माण व निर्णय लेने
की प्रक्रिया में बार-बार बाधा उत्पन्न
की जाती हैं।

(iii) क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने की संभावना होती है तथा इन मुद्दों को लेकर संसद में बहस डालने का प्रयास होना है।

संसदीय प्रणाली को अपनाने के कारण.

- (i) भारत की विशाल जनसंख्या एवं भौगोलिक, सामाजिक, भाषायी इत्यादि विविधता
- (ii) देश की अधिकांश जनसंख्या का निरक्षर होना
- (iii) हमारे देश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचलित संसदीय प्रणाली से अभ्यस्त थे -
क्षमति इसका क्रियान्वयन आसान था।

संसदीय प्रणाली लागू होने के पश्चात् संसदीय प्रणाली ने सफलतापूर्वक कार्य किया है हालांकि समय के साथ अनेक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनका तीव्र समाधान करना आवश्यक है यदि इस प्रणाली की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15


Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका जिनका निर्वाचन निश्चित अवधि के लिए किया जाता है परंतु स्थायी कार्यपालिका अर्थात् नौकरशाही एक स्थायी व्यवस्था है जिन्का चयन एक ही बार किया जाता है।

परंतु इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच समय-समय पर अनेक संघर्ष देखने को मिलते हैं जो सुशासन के मार्ग में बाधा का काम करते हैं।



स्वस्थ संबंधों के लाभ :-

- (i) निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी है
तथा बाधाएँ कम होगी हैं
- (ii) निर्णय निर्माण में जमीनी अनुभव (राजनेता)
एवं विशेषज्ञता (नौकरशाह) का समावेश होता
है जिससे एक उत्कृष्ट नीति का
निर्माण होता है।
- (iii) जनता की भाँग का समुचित रूप से नौकरशाहों
तक पहुँचना

हानियाँ :-

- (i) इसमें अध्याचार में वृद्धि की संभावना खूब
सकती है क्योंकि वे आपस में एक दूसरे
के गलत कृत्यों को छुपा सकते हैं।
- (ii) सिविल सेवकों (नौकरशाहों) की राजनीतिक तटस्थता
के मूल्य पर संकट

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

संदर्भपूर्ण क्षेत्र

- (i) सिविल सेवा सुधार (अनुच्छेद 311)
(ii) लैटरल एंट्री का मुद्दा - इसकी वजह से नौकरशाह अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और उसका विरोध कर रहे हैं।

इसलिए इन दोनों अवस्थाओं के बीच तुरंत सत्री मुद्दों का समाधान कर स्वस्थ संबंधों का विकास करना चाहिए परंतु इसी बीच नौकरशाहों को अपने 'राजनीतिक तटस्थता' के मुझे मूल्य को बनाये रखना चाहिए ताकि मुशासन की प्राप्ति द्वारा जनकल्याण को अधिकतम किया जा सके।

17.

वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान

प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पारंपरिक
व्यापिक व्यवस्था के बाहर ही पारियों के मध्य
विवादों का समाधान करने का प्रयास किया
जाता है।

प्रमुख ए.डी.आर. :

- (i) मध्यस्थता (Arbitration)
- (ii) मुलद
- (iii) मीडिएशन
- (iv) लोक अदालत

भारत में यह व्यवस्था प्राचीन
काल से ही विद्यमान है जिसमें अनेक विवादों
का शांतिपूर्ण समाधान किया गया है। इस
व्यवस्था के अनेक लाभ निम्नलिखित हैं:-

- (i) इसमें न्यायपालिका पर दबाव में कमी
आती है जो पहले ही कैसों की भारी
भाजा में विलंबता से जुझ रही हैं।
- (ii) इसमें समाधान प्रक्रिया में तीव्रता आ सकती
है जिससे भारत में एक सकारात्मक
माहौल का निर्माण होगा → व्यापार करने
की सुगमता में वृद्धि होगी।
- (iv) भारत में एक व्यवस्थित 'A.D.R' कंत्र का
विकास होगा → मानव संसाधनों का विकास
नया रोजगार सृजन ↑

परंतु अभी भी बहुत कम मामलों
का समाधान इसके माध्यम से किया जाता
है क्योंकि इस व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियाँ
विद्यमान हैं-

- (i) इसमें दोनों पक्षों की हमेशा संतुष्टि नहीं
~~आती~~ हो पाती

(ii) भारत में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित
'ADR तंत्र' का अभाव

(iii) संस्थागत तंत्र व मानव संसाधनों का अभाव

(iv) निर्णयों के लिए विशेषतः महसूचों का अभाव

(v) सुप्रीम कोर्ट में अपील → ADR तंत्र की अमफलन

इसी के समाधान एवं भारत

को वैकल्पिक विवाद समाधान के एक उत्कृष्ट
स्थान बनाने के लिए 'नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय
महसूचता केन्द्र अधिनियम, 2019' को पारित किया

जाया है ताकि एक विशेषतः एवं व्यवस्थित
'ADR तंत्र' की स्थापना कर निवेशकों के विश्वास
को जीता जा सके।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
(250 शब्द) 15

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India.
(250 words) 15

आजादी के बाद के

सबसे बड़े मुद्दे कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधान

- (i) जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित करना ये हैं - जम्मू व कश्मीर, लद्दाख।
- (ii) जम्मू-कश्मीर को विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा
- (iii) लद्दाख को विना विधानसभा के केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा

इसके साथ ही 370 के

क्लॉज 1 की छोटकर बाकी सब को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी ~~समाप्त~~ स्वतः समाप्त हो गया।

अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान रद्द करने के संकारालोक निहितार्थ -

- (i) इससे भारत की एकता व अखण्डता को सुदृढ़ता मिलेगी तथा जम्मू-कश्मीर व बाकी भारत के बीच एक सैद्धांतिक अलगाव समाप्त होने की आशंका है।
- (ii) शाही के बाद अपनी संपत्ति से वंचित हो जाने वाली कश्मीरी महिलाओं को अब संपत्ति का अधिकार मिलेगा (अनुच्छेद 14 का पालन)।
- (iii) कश्मीर में निवेश बढ़ने की संभावना है जिसे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

(iv) पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद व अलगाववाद पर
अंकुश लगाने की संभावना
नकारात्मक निहितार्थ

- (i) अनेक विशेषज्ञों की राय है कि इस प्रावधान को हटाने के लिए समुचित सैवैधानिक प्रक्रिया का धालन नहीं किया गया।
- (ii) अलगाववादी नेता इसका इस्तेमाल वहाँ की जनता को भड़काने में कर सकते हैं
- (iii) वहाँ की जनता में विश्वास की भावना जगाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य।

सैवैधानिक रूप से तो कश्मीर के अलगाव को दूर करने का कदम तो उठा लिया गया है परंतु कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतकर व्यवहारिक रूप में भारत के साथ उनका झुकीकरण अती शेष है जो एक व्यवहारिक समाधान की मांग करती हैं।

19. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है? (250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

एक लंबे संघर्ष एवं गतिरोध के पश्चात मालदीव में नई लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। इसका भारत-मालदीव संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है क्योंकि हिन्द महासागर में मालदीव भारत के लिए अनेक अर्थों में एक महत्वपूर्ण देश है।


नई सरकार से भारत के लाभ :-

- (i) हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सहायता मिलने की संभावना क्योंकि नई सरकार ने चीन की आवंटित जमीन की लीज को रद्द कर दिया है।
- (ii) भारत के हजारों लोग मालदीव में कार्य करते हैं पिछले दिनों की रक्षा नई सरकार के आने से होगी।

(iii) भारत एवं मालदीव के बीच अनेक निवेश एवं व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं (मालदीव के राष्ट्रपति की भारत भ्रमण के दौरान)

(iv) मालदीव भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार का कार्य कर सकता है तथा मालदीव में भारतीय निवेश के लिए काफी संभावनाएँ हैं।

(v) भारत-मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से एवार्ड अंडे का विकास



विद्यमान चुनौतियाँ :-

- (i) भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते को सफल रूप से हस्ताक्षर कर लागू करना
- (ii) मालदीव को हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए चीन के विपक्ष में खड़ा करना
- (iii) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना
- (iv) व्यापार की संभावित क्षमता तक बढ़ाने का प्रयास करना

ऑपरेशन कैम्प के अलावा भी अनेक मौकों पर भारत हमेशा मालदीव का सहयोगी व हिरो रहा है परंतु हाल ही में कुछ वर्षों से उत्पन्न गतिरोध को दूर करके आपसी संबंधों का पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। मुक्त व्यापार समझौता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं? (250 शब्द) 15

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for delay in bringing out these reforms? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है

जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी

सदस्य होते हैं जो विश्व शांति एवं सहि

की स्थापना के उद्देश्य से कार्य करते

हैं।

समय-समय पर अनेक देशों

मुख्यतः '6-4' देशों द्वारा सुरक्षा परिषद में

~~अनेक~~ ~~संयुक्त~~ सुधार की मांग की जाती रही

हैं।

सुधार के प्रमुख मुद्दे-

(i) सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीपों का

समान प्रतिनिधित्व नहीं

(दोनों से यूरोप से दो स्थायी सदस्य

परंतु विस्तृत अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका

ले एक भी सदस्य नहीं

(ii) वीरो पावर. लोकतांत्रिक वातावरण में किसी
1. सदस्य द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया को
पूर्वतः प्रभावित करना नार्थक प्रतीत नहीं होगा

(iii) भारत भी अपनी स्थायी सीर के लिए
हावा प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि बदलती
विश्व व्यवस्था में वह भी एक महत्वपूर्ण
भागदार है।

(iv) सुरक्षा परिषद कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे
ईराक पर अमेरिका का आक्रमण, दक्षिणी चीन
सागर में चीन का कब्जा इत्यादि का
समाधान नहीं कर पाई।

भारत का दृष्टिकोण

(i) स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि
होनी चाहिए तथा सभी सदस्यों को
एक वीरो पावर मिलनी चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हारायें में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

- (ii) सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीपों का
प्रतिनिधित्व होना चाहिए
- (iii) विकासशील व विकसित देशों का संतुलित
प्रतिनिधित्व होना चाहिए
- (iv) निर्णय निर्माण प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए

इसी संदर्भ में भारत ने
समान हितों के समूह 'जी-4' का गठन
किया है तथा विश्व के बड़े देशों का
समर्थन अपने पक्ष में ले रहा है ताकि
सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट
मिल सके। इसके लिए चीन के प्रतिरोध
को सफलतापूर्वक तोड़ना एक चुनौतिपूर्ण
कार्य होगा।